

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0-वेदनरी कॉलेज, पटना-14

इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन (विज्ञापन संख्या-02/23 (A))।

विज्ञापन संख्या-02/23 (A)

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन :- दिनांक-15.10.2025 से 25.11.2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों (आरक्षण कोटिवार) से संबंधित प्राप्त अध्यायनाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वि0सं0-02/23 प्रकाशित करते हुए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) आवेदन आमंत्रित किये गये।

प्रकाशित विज्ञापन के नोट-11 द्वारा संसूचित किया गया है कि रिक्तियाँ औपबंधिक है, जो घट-बढ़ सकती हैं तथा प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अध्यायी विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नये पद हेतु रिक्तियाँ, जिनकी शैक्षणिक योग्यता इन्टर होगी, आयोग को संसूचित की जायेगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन हेतु सम्प्रति प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है।

विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् 65 विभिन्न विभागों/कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10976 रिक्तियों की अध्यायनायें प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-15151, दिनांक-14.08.2025 के आलोक में सभी प्राप्त रिक्तियों को समेकित कर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या-02/23(A) प्रकाशित किया जाता है एवं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट <https://bssc.bihar.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। इस प्रकार वि0सं0-02/23 (A) हेतु रिक्तियों की कुल संख्या-23175 है। विज्ञापन संख्या-02/23 (A) के आलोक में ही परीक्षा संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने वि0सं0-02/23 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किये हैं, उन्हें वि0सं0-02/23 (A) हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं वि0सं0-02/23 (A) हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नांकित तालिका के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे।

पूर्व में प्रकाशित वि0सं0-02/23 में उल्लिखित पदों को सम्मिलित करने के उपरान्त संशोधित वि0सं0-02/23(A) के अंतर्गत पदों एवं रिक्तियों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है-

| क्र० सं० | पद का नाम | विभाग का नाम | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता | यांचनीय योग्यता | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या | | | | | | | कुल पदों की संख्या | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/माती/मातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या |
|---|--------------------------|---|---------|--------------------------|---|---|-------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | अनारक्षित | अनुप जाति | अनुप जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलारै | अधिक रूप से कमजोर वर्ग | | | |
| 35% शैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | निम्नवर्गीय लिपिक | पथ निर्माण विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण | - | 15 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 38 | 1 | DD-1 |
| | | | | | | | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 13 | | |
| 2 | निम्नवर्गीय लिपिक | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निषेधन विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण | हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण अनिवार्य | 154 | 47 | 0 | 42 | 63 | 0 | 34 | 340 | 6 | VI-4 DD-3 OH-3 MD-4 |
| | | | | | | | 47 | 17 | 0 | 17 | 14 | - | 10 | 105 | | |
| 3 | निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-2 | गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण | कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 6 | | |
| 4 | निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-2 | गृह विभाग (आरक्षी शाखा) विधि विज्ञान प्रयोगशाला | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण | कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | VI-1 |
| | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 4 | | |
| 5 | निम्नवर्गीय लिपिक | श्रम संरक्षण विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट | हिन्दी टंकण ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन एवं टंकण | - | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | VI-1 |
| | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | | |

Q

f

21/11/2025

| क्र. सं० | पद का नाम | विभाग का नाम | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | सकनीकी योग्यता | बैठनीय योग्यता | आरक्षणवार विक्तियों की संख्या | | | | | | | स्वतंत्रता सेनानी के पोती/पोती/नती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अर्हता हेतु आरक्षित पदों की संख्या | |
|----------|-----------------------|--|---------|---|---|---|---|-----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | अनारक्षित | अनु० जाति | अनु० जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | | कुल पदों की संख्या |
| | | | | | | | 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | |
| 6 | निम्नवर्गीय लिपिक | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टर्कण का ज्ञान | - | 26 | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 63 | 1 | VI-1 DD-1 OH-1 |
| | | | | | | | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 2 | 19 | | |
| 7 | निम्नवर्गीय लिपिक | पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | लेवल-2 | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टर्कण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 30 | 1 | VI-7 DD-8 OH-9 MD-6 |
| | | | | | | | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | | |
| 8 | निम्नवर्गीय लिपिक | निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम सहायन विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष | हिन्दी एवं अंग्रेजी टर्कण का ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन | - | 111 | 21 | 0 | 40 | 37 | 6 | 24 | 239 | 5 | VI-2 DD-2 OH-3 MD/M UD-2 |
| | | | | | | | 34 | 7 | - | 15 | 9 | - | 7 | 72 | | |
| 9 | निम्नवर्गीय लिपिक | श्रमसूचक, श्रम सहायन विभाग (श्रम पक्ष) | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | हिन्दी एवं अंग्रेजी टर्कण एवं कंप्यूटर संचालन में निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम (एमएसडब्ल्यू वर्ड, एमएसडब्ल्यू एक्सेल, पावर प्वाइंट) तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता। | - | 33 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 54 | 1 | VI-1 DD-1 |
| | | | | | | | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | | |
| 10 | फाइलरिया निरीक्षक | स्वास्थ्य विभाग | लेवल-4 | इंटरमीडिएट / 10+2 (विज्ञान) | - | - | 30 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 69 | 1 | VI-1 DD-1 MD-1 |
| | | | | | | | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | | |
| 11 | सहायक अनुदेशक (टर्कण) | मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग | लेवल-4 | इंटरमीडिएट / समकक्ष | हिन्दी एवं अंग्रेजी टर्कण | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | | |
| 12 | निम्नवर्गीय लिपिक | भाषािक सुरक्षा महानिदेशालय (आपदा प्रकल्पन विभाग) | लेवल-2 | कंप्यूटर टर्कण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टर्कण | - | 16 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 41 | 1 | VI-1 DD-1 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 14 | | |
| 13 | राजस्व कर्मचारी | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) एवं समकक्ष | - | - | 1643 | 434 | 18 | 564 | 416 | 139 | 345 | 3559 | 73 | VI-34 DD-35 OH-35 MD/M UD-33 |
| | | | | | | | 480 | 152 | 4 | 197 | 114 | - | 106 | 1053 | | |
| 14 | पंचायत सचिव | पंचायती राज विभाग | लेवल-3 | इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण | - | कंप्यूटर पर टर्कण तथा एमएसडब्ल्यू ऑफिस का ज्ञान | 1746 | 322 | 20 | 617 | 370 | 111 | 346 | 3532 | 71 | VI-32 DD-38 OH-36 MD-33 |
| | | | | | | | 489 | 113 | 5 | 209 | 103 | - | 103 | 1022 | | |
| 15 | निम्नवर्गीय लिपिक | पंचायती राज विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | - | कंप्यूटर संचालन एवं टर्कण ज्ञान | 202 | 81 | 5 | 91 | 60 | 15 | 50 | 504 | 10 | VI-5 DD-5 OH-5 MD-5 |
| | | | | | | | 71 | 30 | 1 | 34 | 20 | - | 15 | 171 | | |
| 16 | निम्नवर्गीय लिपिक | खान एवं भूतत्व विभाग | लेवल-2 | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टर्कण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | - | - | 23 | 10 | 0 | 9 | 9 | 2 | 5 | 58 | 1 | DD-1 OH-1 |
| | | | | | | | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 17 | | |

| क्र. सं. | पद का नाम | विभाग का नाम | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता | यांचनीय योग्यता | आकाशवाचक रिक्तियों की संख्या | | | | | | | कुल पदों की संख्या | स्वायत्तता सेवामी के पोता/ भेती/ माती/ नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | विभाग अन्वयितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या |
|----------|------------------------|---|---------|--|---|-----------------|---|-----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | अनारक्षित | अनु. जाति | अनु. जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | | |
| | | | | | | | 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | |
| 17 | निम्नवर्गीय लिपिक | परिवहन विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट, 10+2 अथवा समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण | - | 46 | 13 | 1 | 11 | 7 | 2 | 9 | 89 | 2 | VI-4 DD-4 OH-4 MD-4 |
| | | | | | | | 13 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 2 | 27 | | |
| 18 | निम्नवर्गीय लिपिक | नगर विकास एवं आवास विभाग | लेवल-2 | इंटरमीडिएट के साथ कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान | - | - | 824 | 337 | 22 | 368 | 219 | 65 | 204 | 2039 | 40 | VI-20 DD-21 OH-21 MD/M UD-20 |
| | | | | | | | 286 | 122 | 7 | 135 | 73 | - | 61 | 684 | | |
| 19 | निम्नवर्गीय लिपिक | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | लेवल-2 | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | - | - | 110 | 16 | 0 | 54 | 23 | 11 | 24 | 238 | 5 | VI-2 DD-2 OH-2 MD/M UD-3 |
| | | | | | | | 33 | 6 | 0 | 17 | 7 | - | 8 | 71 | | |
| 20 | टंकण-सह-लिपिक | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | लेवल-4 | इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष | हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टंकण | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | | |
| 21 | निम्नवर्गीय लिपिक | पशु एवं मत्स्य ससाधन विभाग | लेवल-2 | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | VI-1 |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | |
| 22 | निम्नवर्गीय लिपिक | सहाकारिता विभाग | लेवल-2 | कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | - | - | 42 | 30 | 2 | 33 | 5 | 7 | 14 | 133 | 3 | VI-2 DD-2 OH-1 MD-1 |
| | | | | | | | 16 | 8 | 1 | 9 | 1 | - | 4 | 39 | | |
| 23 | कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक | अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (गणित/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में से किसी एक विषय के साथ) उत्तीर्ण | - | - | 213 | 85 | 6 | 96 | 64 | 16 | 54 | 534 | 10 | VI-5 DD-5 OH-6 MD/ MUD-5 |
| | | | | | | | 75 | 31 | 2 | 36 | 21 | - | 16 | 181 | | |
| 24 | निम्नवर्गीय लिपिक | उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग | लेवल-2 | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट एवं समकक्ष | - | - | 20 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 48 | 1 | VI-1 MD-1 |
| | | | | | | | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 16 | | |
| 25 | निम्नवर्गीय लिपिका | सांस्कृतिक कार्य निदेशालय (कला संस्कृति एवं युवा विभाग) | लेवल-2 | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष | - | - | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 38 | 1 | VI-1 DD-1 |
| | | | | | | | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 12 | | |
| 26 | निम्नवर्गीय लिपिक | अभियोजन निदेशालय (गृह विभाग) | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 29 | 10 | 0 | 12 | 9 | 2 | 7 | 69 | 1 | VI-1 DD-1 OH-1 |
| | | | | | | | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | 2 | 21 | | |
| 27 | निम्नवर्गीय लिपिक | बिहार अग्निशामक सेवा (गृह विभाग, आरक्षी शाखा) | लेवल-2 | इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण (हिन्दी एवं अंग्रेजी) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 28 | निम्नवर्गीय लिपिक | विज्ञान एवं प्राथमिकी विभाग | लेवल-2 | कम्प्यूटर संचालन एवं टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष | - | - | 112 | 43 | 4 | 55 | 29 | 11 | 27 | 281 | 5 | VI-3 DD-3 OH-2 MD-3 |
| | | | | | | | 39 | 16 | 1 | 18 | 10 | - | 8 | 92 | | |

O- R

8
22/11/2023

| क्र. सं. | पद का नाम | विभाग का नाम | श्रेणियाँ | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता | वास्तविक योग्यता | आव्यक्तियों की संख्या | | | | | | | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/पत्नी/पत्नी की हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अर्हता हेतु आरक्षित पदों की संख्या | |
|----------|-------------------|---|-----------|--|--|------------------|---|------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | अनादिश | अग्रज जाति | अग्रज जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | | कुल पदों की संख्या |
| | | | | | | | 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | |
| 29 | निम्नवर्गीय लिपिक | कास एव सुभार सेवागो निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण | कंप्यूटर का संचालन एवं टंकण ज्ञान | - | 51 | 21 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 | 127 | 3 | VI-2 DD-1 OH-1 MD-1 |
| | | | | | | | 17 | 8 | 0 | 8 | 5 | - | 4 | 42 | | |
| 30 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, पूर्णिया | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | | |
| 31 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, रामगढ़पुर | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | VI-1 |
| | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | | |
| 32 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, अररल | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 6 | | |
| 33 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, भागलपुर | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 12 | 10 | 0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 41 | 1 | OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | | |
| 34 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, कटिहार | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 36 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 57 | 1 | VI-1 DD-1 |
| | | | | | | | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 20 | | |
| 35 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, शेखपुरा | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 1 | DD-1 |
| | | | | | | | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | | |
| 36 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, बाँका | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 34 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 54 | 1 | VI-1 DD-1 |
| | | | | | | | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 18 | | |
| 37 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, लखीसराय | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 1 | MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | | |
| 38 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, गोरखपुर | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 | 1 | VI-1 |
| | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | | |
| 39 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, बेगूसराय | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 48 | 14 | 0 | 13 | 12 | 2 | 10 | 99 | 2 | VI-1 DD-1 OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 17 | 5 | 0 | 5 | 4 | - | 4 | 35 | | |
| 40 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, रोहतास | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 24 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 51 | 1 | VI-1 DD-1 OH-1 |
| | | | | | | | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 16 | | |

R F

2
21/11/2022

| क्र. सं. | पद का नाम | विभाग का नाम | श्रेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | सफ़रकीकी योग्यता | वांछनीय योग्यता | आरक्षणवार शिक्तियों की संख्या | | | | | | | कुल पदों की संख्या | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अर्हियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या |
|---|-------------------|--|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | अवशरित | अनुप जर्हति | अनुप जनजर्हति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | | |
| 35% क्षीतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, दरभंगा | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 55 | 1 | VI-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 16 | | |
| 42 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, गोजपुर | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 1 | MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | | |
| 43 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, जहानाबाद | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 29 | 1 | MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | | |
| 44 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, पटना | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 53 | 19 | 4 | 17 | 0 | 10 | 12 | 115 | 2 | VI-1 DD-1 OH-2 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 19 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 4 | 37 | | |
| 45 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, मधेपुरा | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 43 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 68 | 1 | VI-1 OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 21 | | |
| 46 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, छगड़िया | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | OH-1 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | | |
| 47 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, औरंगाबाद | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | DD-1 |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | | |
| 48 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, नवादा | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 11 | | |
| 49 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, गोपालगंज | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 30 | 12 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 68 | 2 | OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | | |
| 50 | निम्नवर्गीय लिपिक | समाहरणालय, मधुबनी | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 53 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 8 | 78 | 2 | OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 28 | | |
| 51 | निम्नवर्गीय लिपिक | राजस्व विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण का ज्ञान | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | DD-1 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 52 | निम्नवर्गीय लिपिक | सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण का ज्ञान | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | | |

23/11/2024

| क्र. सं. | पद का नाम | विभाग का नाम | वैतनिक | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | सकनीकी योग्यता | वांछनीय योग्यता | आरक्षणवार विधियों की संख्या | | | | | | कुल पदों की संख्या | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | विभाग आरक्षित पदों की संख्या | |
|----------|--------------------------|---|--------|--|---|-----------------|--|----------|------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | अनारक्षित | अनु जाति | अनु जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | | | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| | | | | | | | 35% शैक्षणिक आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | |
| 53 | निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-2 | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 0 |
| 54 | निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-2 | जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | VI-1 OH-1 | |
| | | | | | | | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | | | 13 |
| 55 | निम्नवर्गीय लिपिक | वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 0 |
| 56 | निम्नवर्गीय लिपिक | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | OH-1 MD/ MUD-1 | |
| | | | | | | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | | | 12 |
| 57 | निम्नवर्गीय लिपिक | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 0 |
| 58 | निम्नवर्गीय लिपिक | लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / | - | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | VI-1 | |
| | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | | | 5 |
| 59 | निम्नवर्गीय लिपिक | भ्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 2 |
| 60 | निम्नवर्गीय लिपिक | वित्त विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट / 10 +2 या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 34 | 12 | 1 | 11 | 6 | 2 | 7 | 1 | VI-1 OH-1 MD/ MUD-1 | |
| | | | | | | | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 2 | | | 24 |
| 61 | निम्नवर्गीय लिपिक | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 0 |
| 62 | निम्नवर्गीय लिपिक | ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI-1 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 0 |
| 63 | निम्नवर्गीय लिपिक | पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / टंकण का ज्ञान | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 2 |
| 64 | निम्नवर्गीय लिपिक | स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | VI-1 | |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | | | 3 |
| 65 | निम्नवर्गीय लिपिक | खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग / | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 0 |

2
01/11/2025

| क्र. सं. | पद का नाम | विभाग का नाम | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता | यांछनीय योग्यता | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या | | | | | | कुल पदों की संख्या | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | विभाग अंतर्गत हेतु आरक्षित पदों की संख्या | |
|----------|-------------------|---|---------|---|--|-----------------|---|-----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | अनारक्षित | अनुू जाति | अनुू जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | | | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| | | | | | | | 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | |
| 66 | निम्नवर्गीय लिपिक | भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण का ज्ञान | - | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | VI-1 |
| | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | | |
| 67 | निम्नवर्गीय लिपिक | विज्ञान प्रादेशिकी तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण का ज्ञान | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | | |
| 68 | निम्नवर्गीय लिपिक | ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण का ज्ञान | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | VI-1 |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | | |
| 69 | निम्नवर्गीय लिपिक | खाद्य उपभोगिता संस्था विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान। | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | | |
| 70 | निम्नवर्गीय लिपिक | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण का ज्ञान | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 0 |
| 71 | निम्नवर्गीय लिपिक | विधि विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण का ज्ञान | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 0 |
| 72 | निम्नवर्गीय लिपिक | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | टंकण यंत्र पर टंकण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण का ज्ञान | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | VI-1 |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | |
| 73 | निम्नवर्गीय लिपिक | अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, (जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय), बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | OH-1 |
| | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | | |
| 74 | निम्नवर्गीय लिपिक | श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष), क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) का ज्ञान। कंप्यूटर संचालन में थिडो अपरेटिंग सिस्टम तथा इंटरनेट पर कार्य करने की दक्षता आवश्यक। | - | 20 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 38 | 1 | DD-1 |
| | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 11 | | |
| 75 | निम्नवर्गीय लिपिक | निदेशालय, चिपितला रोड, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट या समकक्ष | हिन्दी टंकण का ज्ञान के साथ-साथ फ्यूटुर संचालन एवं टंकण का ज्ञान | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | VI-1 |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | |
| 76 | निम्नवर्गीय लिपिक | अर्क्षेत्र निदेशालय, विज्ञान विभाग, बिहार, पटना | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान। | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | VI-1 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | | |
| 77 | पशुपन सहायक | पशु पालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (जीव विज्ञान) अथवा समकक्ष (जीव विज्ञान सहित) | - | - | 213 | 86 | 4 | 114 | 38 | 20 | 53 | 528 | 11 | VI-6 DD-6 OH-5 MD/ MUD-5 |
| | | | | | | | 75 | 30 | 1 | 40 | 13 | - | 19 | 178 | | |

24/11/2023

| क्र. सं. | पद का नाम | विभाग का नाम | व्यवस्थापक | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता | राष्ट्रीय योग्यता | आवकाशवार पदों की संख्या | | | | | | | कुल पदों की संख्या | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/माती/मातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | विभाग अप्रैल 2014 के अनुसार पदों की संख्या |
|----------|-------------------|--|------------|---|---|-------------------|---|----------|------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | अनारक्षित | अनु जाति | अनु जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | | |
| | | | | | | | 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | |
| 78 | पर्यटन सहायक | गद्य विकास निदेशालय, पशु एवं मत्स्य ससाधन विभाग, बिहार, पटना | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (जीव विज्ञान) अथवा समकक्ष (जीव विज्ञान सहित) | | | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1 | VI-1 |
| | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 6 | | |
| 79 | निम्नवर्गीय लिपिक | योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान। | | 34 | 13 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 80 | 2 | VI-1 DD-1 OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 12 | 5 | 0 | 6 | 2 | - | 3 | 28 | | |
| 80 | निम्नवर्गीय लिपिक | गविय निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान। | | 52 | 22 | 1 | 22 | 8 | 4 | 12 | 121 | 2 | VI-2 DD-1 OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 18 | 8 | 0 | 8 | 3 | - | 4 | 41 | | |
| 81 | निम्नवर्गीय लिपिक | पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान। | | 3319 | 1327 | 83 | 1493 | 997 | 249 | 830 | 8298 | 166 | VI-83 DD-83 OH-83 MD/ MUD-83 |
| | | | | | | | 1162 | 464 | 29 | 523 | 349 | - | 291 | 2818 | | |
| 82 | निम्नवर्गीय लिपिक | गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान। | | 59 | 21 | 2 | 25 | 13 | 3 | 14 | 137 | 3 | VI-1 DD-1 OH-2 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 21 | 7 | 0 | 9 | 5 | - | 5 | 47 | | |
| 83 | निम्नवर्गीय लिपिक | पशु एवं मत्स्य ससाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय), बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं टंकण का ज्ञान। | | 20 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 48 | 1 | OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 16 | | |
| 84 | निम्नवर्गीय लिपिक | परिवहन विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन का ज्ञान। | | 42 | 11 | 1 | 16 | 10 | 3 | 9 | 92 | 2 | VI-1 DD-1 OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 15 | 4 | 0 | 6 | 4 | - | 3 | 32 | | |
| 85 | निम्नवर्गीय लिपिक | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय) बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान। | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 86 | निम्नवर्गीय लिपिक | श्रम संसाधन विभाग (श्रम पत्र), बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर संचालन का ज्ञान एवं उच्चतर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण। कंप्यूटर संचालन में मिडो अपरेशन सिस्टम (Ms Office) तथा इंटरनेट पर कार्य करने का दक्षता। | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | | |
| 87 | निम्नवर्गीय लिपिक | कार्यस्थ निष्पन्न सहायक समितियों (सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।) | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कंप्यूटर टंकण का ज्ञान। | | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 34 | 1 | OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 12 | | |
| 88 | निम्नवर्गीय लिपिक | पत्र निष्पन्न, उत्पाद एवं निष्पन्न विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट / 10 +2 समकक्ष | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का ज्ञान। | | 61 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5 | 10 | 100 | 2 | VI-1 DD-1 OH-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | 4 | 33 | | |

Q R

23/11/2015

| क्र. सं. | पद का नाम | विभाग का नाम | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता | वांछनीय योग्यता | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या | | | | | | | कुल पदों की संख्या | स्वायत्ता रोना की पोता/पोती/नाती/नातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या |
|--------------------|-------------------|--|---------|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| | | | | | | | अनारक्षित | अनुप जाति | अनुप जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | | |
| | | | | | | | 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद | | | | | | | | | |
| 89 | निम्नवर्गीय लिपिक | निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पदा) भ्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | प्रवेशिकोत्तीर्ण अथवा समकक्ष | हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन की योग्यता | - | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 36 | 1 | VI-1 MD/ MUD-1 |
| | | | | | | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 12 | | |
| 90 | निम्नवर्गीय लिपिक | निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पदा) भ्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान। | - | 25 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 43 | 1 | DD-1 OH-1 |
| | | | | | | | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 14 | | |
| 91 | बैंच क्लर्क | राज्य उपमोक्षा विचार प्रतिलोभ आयोग (खाद्य एवं उपमोक्षा संरक्षण विभाग), बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान। | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 | VI-1 |
| | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | | |
| 92 | निम्नवर्गीय लिपिक | उपमोक्षा संरक्षण निदेशालय (खाद्य एवं उपमोक्षा संरक्षण विभाग), बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान। | - | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1 | DD-1 |
| | | | | | | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 8 | | |
| 93 | निम्नवर्गीय लिपिक | खेल विभाग, बिहार, पटना। | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान। | - | 21 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 53 | 1 | DD-1 OH-1 |
| | | | | | | | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | 2 | 18 | | |
| 94 | निम्नवर्गीय लिपिक | खेल विभाग, बिहार, पटना (राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर) | लेवल-2 | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान। | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | | |
| कुल पदों की संख्या | | | | | | | 10142 | 3212 | 219 | 3974 | 2562 | 767 | 2289 | 23175 | 470 | VI-249 DD-243 OH-243 MD/ MUD-233 |
| | | | | | | | 3304 | 1120 | 55 | 1384 | 800 | - | 731 | 7394 | | |

नोट- I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:-VI-दृष्टि दिव्यांगता, DD-मूक बधिर दिव्यांगता, OH-चलन दिव्यांगता, MD-मनोविकार दिव्यांगता एवं MUD- बहु दिव्यांगता।

नोट-II. राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

नोट-III. राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

नोट-IV. उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबन्धिक हैं, जो घट-बढ़ सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों/कार्यालयों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नये पद हेतु रिक्तियाँ, जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर/समकक्ष होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है।

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट/समकक्ष एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष की योग्यता भारत सरकार/राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षणिक बोर्ड द्वारा निर्गत होनी चाहिए।

3. तकनीकी/वांछनीय योग्यता :- ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों/विभागों के सामने उल्लिखित तकनीकी/वांछनीय योग्यता धारण करना अनिवार्य है।

23/11/2025

4. आरक्षण:-

- (i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के सम्प्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iii) जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (iv) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र।
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र।
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (c) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (d) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- (v) आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र भौतिक रूप में उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, एवं उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। (उदाहरण स्वरूप यदि BC कोटि के अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के समय EBC अंकित करते हैं तथा प्रमाण-पत्र संवीक्षा के दौरान BC कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा)
- यदि उम्मीदवार प्रमाण-पत्र संवीक्षा के दौरान संगत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो उन्हें अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जायेगा। तदनुसार आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं (यथा-प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा) का परीक्षाफल की संवीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability) को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-8962, दिनांक 21.05.2025 के आलोक में राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के स्तर से निर्गत हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में दिव्यांगता आरक्षण का लाभ देय

23/11/2024

नहीं होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2568, दिनांक-11.02.2025 के आलोक में अधिनियम की धारा 2 (s) के अन्तर्गत परिभाषित, परन्तु इस अधिनियम की धारा 2 (r) के अन्तर्गत अपरिभाषित विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं अनुसूची-11 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कंडिका में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में YES करना अनिवार्य होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या तालिका में अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में सम्पूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12897, दिनांक-28.07.2022 के आलोक में संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिमानता दी जायेगी एवं उम्र सीमा में शिथिलीकरण तथा कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा, जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो। उदाहरणस्वरूप- यदि कोई अभ्यर्थी पंचायत रोजगार सेवक के पद पर विधिवत संविदा के आधार पर कार्य किये हो, तो उन्हें उपरोक्त किसी भी पद पर अधिमानता का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसी तरह, यदि कोई अभ्यर्थी निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर

विधिवत संविदा के आधार पर कार्य किये हो, तो उन्हें उक्त तालिका में अंकित मात्र निम्नर्गीय लिपिक पद हेतु अधिमानता का लाभ दिया जायेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1003, दिनांक-22.01.2021 की कंडिका-(5) के आलोक में विधिवत् नियोजित संविदा कर्मियों को ही संविदाकर्मी के रूप में लाभ दिया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12897, दिनांक-28.07.2022 एवं संकल्प संख्या-1003, दिनांक-22.01.2021 की छायाप्रति विज्ञापन के साथ संलग्न है।

संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा विभागीय प्रधान/सचिव/निदेशक/जिला पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए। संविदा के आधार पर कार्य करने संबंधी विहित अनुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न है। संविदा कर्मी ऑनलाईन आवेदन के समय विहित अनुभव प्रमाण-पत्र एवं संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12956, दिनांक-16.08.2024 के आलोक में उक्त लाभ प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में दिया जाएगा।

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय किये गये दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण-पत्र यथा Matriculation प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि का निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय उपरोक्त सभी संगत प्रमाण-पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण-पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

5. उम्र सीमा:-

अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2025 के आधार पर की जाएगी, परन्तु जैसे अभ्यर्थी, जो दिनांक-01.08.2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी।

न्यूनतम आयु सीमा - 18 (अठारह) वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा :-

| क्र०सं० | कोटि | अधिकतम उम्र सीमा |
|---------|---|--|
| 01 | अनारक्षित (पुरुष) | 37 वर्ष |
| 02 | पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) | 40 वर्ष |
| 03 | अनारक्षित (महिला) | 40 वर्ष |
| 04 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) | 42 वर्ष |
| 05 | सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी | उपर्युक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट। |

आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

23/11/2025

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-6519, दिनांक-10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-22218 (गजट), दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है:-

(क) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग अधिकतम कुल पाँच अवसर ही अनुमान्य होंगे।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

(ग) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पूर्ववत् अनुमान्य होगी, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी, जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iii) 01 जनवरी 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र उक्त पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके संबंध में यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।

(iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग्य के समतुल्य रियायत दी जायेगी। बशर्तें की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि को 53 वर्ष से अधिक न हो।

(v) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस पद पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्तें कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छुट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छुट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) की अधिकतम उम्र सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।

(vii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि से छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हो, का प्रमाण पत्र, प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(viii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ix) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही-सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

6. परीक्षा शुल्क (प्रारंभिक परीक्षा) :-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क की राशि मात्र रू0 100/- (एक सौ रुपये) निर्धारित है।

परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन (Credit Card/Debit Card /UPI/ Net Banking आदि के माध्यम से) जमा किया जाएगा।

ऑनलाइन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक-15.10.2025 से 25.11.2025 तक जमा किया जा सकेगा।

मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा।

7. परीक्षा की प्रकृति:- वस्तुनिष्ठ

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली-2010 के आलोक में 40 (चालीस) हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुये तैयार की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 05 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों से पदों की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी।

समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधासूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम (A to Z) के आधार पर उन्हें मेधासूची में रखा जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे:-

(क) सामान्य अध्ययन।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली-2010 की कंडिका-12 के आलोक में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जायेगी। अभ्यर्थी अपने साथ तीन पुस्तक अर्थात् प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं: - (i) सामान्य अध्ययन खण्ड, (ii) गणित खण्ड तथा (iii) सामान्य विज्ञान खण्ड। पुस्तकों में NCERT/B.S.E.B/I.C.S.E. एवं अन्य बोर्ड के Text Book ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गार्ड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं।

अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रोल नं० अवश्य अंकित कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान-प्रदान पूर्णतया वर्जित है। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नं० एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाए जाने की स्थिति में तथा/Text Book या के अतिरिक्त अन्य सामग्रियाँ ले जाते हैं, तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

सिलेबस:- प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है:-

खंड (क) सामान्य अध्ययन :- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और

दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देश :- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान।

खंड (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित:- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-

(i) सामान्य विज्ञान:- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल।

(ii) गणित:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, एवं लाभ और हानि।

खंड (ग) मानसिक क्षमता जाँच :- इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

8. क्वालीफाइंग मार्क्स:-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित है:-

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| सामान्य वर्ग | - | 40 प्रतिशत। |
| पिछड़ा वर्ग | - | 36.5 प्रतिशत। |
| अ0पि0 वर्ग | - | 34 प्रतिशत। |
| अनु0जाति/जनजाति | - | 32 प्रतिशत। |
| महिला (सभी वर्ग) | - | 32 प्रतिशत। |
| दिव्यांग (सभी वर्ग) | - | 32 प्रतिशत। |

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश:-

| | |
|--------------------------------------|------------|
| ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि | 15.10.2025 |
| परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि | 25.11.2025 |
| ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि | 27.11.2025 |

I. ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता/आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र यथा -

- मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- इंटरमीडिएट/समकक्ष से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- टंकण/कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण-पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र।
- स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण-पत्र।
- दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- विहित प्रपत्र में संविदा नियोजन संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र।
- अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी प्रमाण-पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण-पत्र/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित कॉलम में करना सुनिश्चित करेंगे।

- II. ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निदेश आयोग के वेबसाइट <https://bssc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- III. ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- IV. अभ्यर्थी के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र के अनुसार होना चाहिए।
- V. सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि (Category) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरान्त ही भरें।
- VI. विज्ञापन की कंडिका-4 (आरक्षण) की उप कंडिका-(vii) के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करेंगे, जिसके अनुसार उन्हें श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जाएगा।
- VII. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) Live Photo Webcam के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- VIII. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
- IX. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है।
- X. अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल में प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र मूल में प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- XI. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध है।

10. महत्वपूर्ण निर्देशः-

- I. किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। मात्र प्रवेश पत्र (Admit Card) निर्गत होने से अभ्यर्थी के अभ्यर्थित्व का दावा संपुष्ट नहीं माना जाएगा।
- II. किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
- III. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे।
- IV. इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। साथ ही, गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- V. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो Edit option का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को Submit करेंगे।
- VI. एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।
- VII. वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर और/या ई-मेल

आई0डी0 दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे, जिसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

- VIII. अभ्यर्थी अपना Application Form Number/Registration Number/Roll Number को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किये जायेंगे।
- IX. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-9667, दिनांक-20.06.2024 के आलोक में लिखित परीक्षा Online (Computer Based Test)/Offline Mode में आयोजित की जा सकती है।
- X. विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पररूपधारण (Impersonation) करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतएव अभ्यर्थियों का परीक्षा के दौरान Biometric Thumb Impression/Iris Capture लिया जा सकता है, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के Biometric Thumb Impression/Iris Capture का मिलान किया जा सके। Biometric Thumb Impression/Iris Capture मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि-सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
- XI. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।
- XII. जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।


- नोट:- A. उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन/निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/संवर्ग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।
- B. मुख्य परीक्षा के पश्चात् उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकण/कंप्यूटर जाँच में सम्मिलित होना होगा। टंकण/कंप्यूटर जाँच के संबंध में लिखित परीक्षा के उपरान्त विस्तृत सूचना दी जाएगी।

घोषणा:-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिये गये विवरण की पुष्टिकरण माँगेगा, मैं निदेशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

11. अंतिम तिथि:-

ऑनलाईन आवेदन दिनांक-15.10.2025 से 27.11.2025 की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट <https://bssc.bihar.gov.in> पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।


सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

P 0-